

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



# उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

सम्भल  
सम्भल  
172050030020699  
754174002951

जारी दिनांक: 15/07/2017

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

कु. सोनाली रानी

श्री मुकेश कुमार

श्रीमती सोनी

,हयात नगर

सम्भल

सम्भल



उत्तर प्रदेश राज्य की बाबूमीकी जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950 (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रारूप में मान्यता दी गयी है।

कु. सोनाली रानी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के मकान नं. ,हयात नगर ग्राम मोहल्ला तहसील सम्भल जनपद सम्भल में सामान्यतया रहता है।



जारी कर्ता केन्द्र: अशरफ अली, सीएमएस जन सेवा केंद्र  
पद: अशरफ अली, केन्द्र प्रभारी  
स्थान: रिठाली, सम्भल, RITHALI, सम्भल, सम्भल  
दिनांक: 17/07/2017

NITIN Digitally Signed by  
NITIN TANEJA  
O=Personal,  
S=Haryana

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

सम्भल, सम्भल

दिनांक: 15/07/2017

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।